न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, सहरसा।

अनुसूची 14– फारम संख्या 562, राज्य।

बनाम

टेम्पू रजि0 नं०– BR-19P-1231

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

जिला– सहरसा, केस संख्या–**340/2019–20**,

केस का प्रकार– बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016, के तहत जप्त शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त टेम्पू रजि0 नं०– BR-19P-1231 के अधिहरण (confiscation) करने के संबंध में।

ओदश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तिथि सहित।
1	2	3
	–: आदेश :– प्रस्तुत वाद की कार्यवाही का प्रारंभ पुलिस अधीक्षक, सहरसा के पत्रांक 3344/हि०शा०, दिनांक 02.09.2019 के आलोक में किया गया है। प्राप्त पत्र के साथ संलग्न प्रस्ताव नवहट्टा थाना कांड संख्या– 77/2019 में जप्त शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त टेम्पू रजि0 नं०– BR-19P-1231 के अधिहरण से संबंधित है। नवहट्टा थाना कांड संख्या– 77/2019, घटना का स्थान– ओरिया गाँव से लगभग 01 किलो पूरब नहर पुल, धटना की तिथि– 22.07.2019 के संबंध में पुलिस द्वारा प्रतिवेदित घटना की संक्षिप्त विवरणी यह है कि– "यह काण्ड वादी प्रमोद कुमार सिंह पिता–बिनोद सिंह, सा0–रामपुर, थाना–मनेर, जिला–पटना वर्त्तमान स0अ0नि0 नवहट्टा थाना के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी नामजद अभियुक्त (1) कुअंर सादा पिता–स्व0 रामेश्वर सादा सा0–बलिया सिमैर 02. शंकर सादा पिता–भुवनेश्वरी सादा 03. टेम्पू चालक नवल किशोर भारती पिता–स्व0 लक्ष्मी सादा, दोनों सा0 मुरली तीनों थाना–महिषी(जलई) जिला–सहरसा के विरूद्ध शराब रखने/परिवहन करने के आरोप में अंकित किया गया है।" उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस वाद के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ कर जप्त शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त टेम्पू रजि0 नं०– BR-19P-1231 के अधिहरण के बिन्दु पर वाहन मालिक को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया। वाहन मालिक नवल किशोर भारती पिता– स्व० लक्ष्मी सादा, साकिन–मुरली, टोला वार्ड नं0 06, थाना–महिषी, जिला– सहरसा उपस्थित हुए। उनके ओर से माननीय उच्च न्यायालय में दायर वाद CWJC NO- 25109/2019 की प्रति दाखिल की गई। प्रतिवादी (वाहन मालिक) का कहना है कि नवहट्टा पुलिस	

द्वारा उनके टेम्पू को बिना किसी समुचित कारण के गलत रूप से जप्त किया गया है। जप्त टेम्पू को मुक्त करने हेतु इनके ओर से माननीय उच्च न्यायालय पटना में CWJC NO- 25109/2019 दाखिल किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त दाखिल वाद में निश्चित समयावधि के अन्तर्गत अधिहरण वाद की कार्यवाही को निष्पादित किये जाने का आदेश पारित किया गया। प्रतिवादी द्वारा उक्त पारित आदेश के आलोक में ही जप्त टेम्पू को मुक्त किये जाने के संबंध में इस वाद के अन्तर्गत यह आवेदन दाखिल किए हैं।

आगे कहना है कि जप्त टेम्पू से संबंधित समस्त साक्ष्य व कागजात उनके पास उपलब्ध है, जिसकी छायाप्रति वे अवलोकनार्थ संलग्न कर रहें हैं। उनके पास या जप्त टेम्पू से कोई भी आपत्तिजनक सामान या शराब बरामद नहीं हुआ है। जप्त टेम्पू खुले आसमान के नीचे रखे होने के कारण खराब हो रहा है।

इनके ओर से मुख्यतः अपने ओर से दाखिल पक्ष, टेम्पू संबंधी कागजात की छायाप्रति व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC NO- 25109/2019 के अन्तर्गत पारित आदेश के आलोक में जप्त टेम्पू को अपने पक्ष में मुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) का कथन है कि चूँकि वाहन का प्रयोग शराब के अवैध परिवहन में किया जा रहा था। अतः विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) द्वारा, पुलिस अधीक्षक सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन/प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्य निषेध ओर उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत जप्त टेम्पू रजि० नं०— BR-19P-1231 को अधिहरित किये जाने का अनुरोध किया गया।

वाहन मालिक के साथ राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) को विस्तार से सुना।

चूँकि जप्त वाहन से अत्यधिक मात्रा में अवैध शराब की बरामदगी हुई है। ऐसी स्थिति में उक्त जप्त वाहन टेम्पू रजि० नं०— BR-19P-1231 को अधिहरण करना न्यायोचित एवं विधिसम्मत् प्रतीत होता है। अतः उक्त जप्त वाहन को राज्य के पक्ष में अधिहरण किया जाता है।

अधीक्षक, उत्पाद, सहरसा एवं प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को आदेश दिया जाता है कि उक्त वाहन का मोटरयान निरीक्षक, सहरसा से मूल्यांकन कराकर विधिवत् निलामी कर बिक्री राशि सरकारी कोष में जमा कर दें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा एवं अधीक्षक उत्पाद सहरसा को एवं सूचनार्थ पुलिस अधीक्षक, सहरसा को भी भेजें।

इसी के साथ अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

समाहर्त्ता
सहरसा।

समाहर्त्ता
सहरसा।

ज्ञापांक ....46....... / न्याया०,   सहरसा, दिनांक ....14.01.21....

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, सहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

14.01.21

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
14/01/21